बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बिहार के विभिन्न जिलों में भ्रमण के दौरान पाया गया है कि शिक्षा विभाग द्वारा 10+2 विद्यालय के लिए भवन के निर्माण जहां-जहां हो चुके हैं वैसे नवनिर्मित भवन में फर्निसिंग का काम नहीं हुआ है तथा उक्त नवनिर्मित भवन में अध्यापन का कार्य भी अबतक शुरू नहीं किया जा सका है।

अत: उक्त नवनिर्मित विद्यालय भवन को सुसज्जित करने के साथ-साथ अध्यापन का कार्य शीघ्रातिशीघ्र प्रारंभ करने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- ललन कुमार सर्राफ
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-225/2018 – 1585 (1) वि.प.। पटना, दिनांक- 20.07.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार / प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-24.07.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

20.07.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

सी.डब्लू.जे.सी. संख्या- 3949/2012 एवं तदनुरूप एल.पी.ए. 1391/2012 में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के उपरांत पटना नगर निगम को विज्ञापनकर्ताओं से टैक्स लेने की शक्ति नहीं रह गई है। बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 में किए गए प्रावधान के अनुसार पटना नगर निगम को विज्ञापनकर्ताओं के लिए लाईसेंस निर्गत करने का अधिकार रह गया है परन्तु नगर निगम द्वारा मनमाने ढंग से होर्डिंग्स को उखाड़ने का गैर कानूनी कार्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं, नगर निगम द्वारा बनाए गए कुछ प्रावधान अत्यंत हास्यास्पद भी है। यथा होर्डिंग्स के लिए बिजली की व्यवस्था हेतु बंगलोर इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी लि. एवं स्ट्रक्चरल डिजाईन के लिए मुम्बई कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुम्बई के इंजीनियरों द्वारा जारी किए गए लाईसेंस को मान्यता दी जायेगी। पटना नगर निगम के विज्ञापनकर्ताओं के टैक्स का मामला बिहार सरकार के नगर विकास विभाग, पटना नगर निगम एवं वाणिज्य कर विभाग के बीच झूल रहा है। अधिकारियों द्वारा सम्यक् नियम नहीं बनाए जा रहे हैं और इसकी आड़ में पटना नगर निगम के अधिकारियों द्वारा मनमानापन एवं गैर कानूनी आदेश प्रतिदिन दिए जा रहे हैं। स्पष्ट नियम नहीं बनाए जाने के कारण अधिकारियों को भ्रष्टाचार में लिप्त होने का मार्ग वर्ष 2012के बाद ही खोल दिया गया है।

अत: माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए न्याय निर्णय के आलोक में पटना नगर निगम क्षेत्र के विज्ञापनकर्ताओं से टैक्स एवं लाईसेंस लेने के संबंध में शुद्ध, सम्यक् एवं सरल नियम बनाने एवं तदनुरूप बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के प्रावधान में संशोधन या विलोपन करने एवं मुम्बई एवं बंगलोर से संबंधित प्रावधान को हटाने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

1. ह./- रामचन्द्र भारती, स.वि.प.
2. ह./- दिलीप कुमार चौधरी, स.वि.प.
3. ह./- राम वचन राय, स.वि.प.
4. ह./- जावेद इकबाल अंसारी, स.वि.प. एवं
5. ह./- नीरज कुमार, स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-223/2018 – 1583 (1) वि.प.। पटना, दिनांक- 20.07.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार / प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-24.07.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 20.07.2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बांका जिला में अवैध बालू खनन को लेकर आये दिन विभिन्न समाचार-पत्रों में संवेदक एवं स्थानीय ग्रामीण जनता के बीच गोली-बारी, मारपीट एवं हत्या होने की खबर छपती रहती है, इसके बावजूद पुलिस प्रशासन एवं विभागीय पदाधिकारी अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन नहीं करते हैं। संवेदक के दहशत से ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है।

संवेदक एवं पुलिस प्रशासन की संलिप्तता के कारण अवैध बालू खनन कार्य चरमसीमा पर है, बालू खनन को लेकर निर्दोष स्थानीय ग्रामीण जनता की हत्या अक्सर होती रहती है। विगत दो वर्षों में लगभग बीस हत्या हो चुकी है। संवेदकों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद भी उक्त संवेदक पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती है जबकि संवेदकों द्वारा निर्दोष जनता को झूठे मुकदमें में फंसाया जाता है तथा फंसाने की लगातार धमकी भी दी जाती है।

अत: बांका जिला में हो रहे अवैध बालू खनन कार्य में संवेदकों एवं पुलिस प्रशासन की संलिप्तता के कारण निर्दोष ग्रामीण जनता की झूठे मुकदमें में फंसाने को रोकने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- मनोज यादव

स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-216/2018 – 1590 (1) वि.प.। पटना, दिनांक- 20.07.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार / प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-24.07.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 20.07.2018

(नवल किशोर सिंह)

अवर सचिव

बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

नालन्दा जिलान्तर्गत नालन्दा जिला प्रमंडल,पथ निर्माण विभाग हिलसा के हिलसा –नूरसराय पथ में हिलसा नगर पर्षद क्षेत्र में डोर नदी पर बना पूल काफी जर्जर एवं संकीर्ण स्थिति में है। शहर के नजदीक रहने के कारण इस पूल पर हमेशा जाम लगा रहता है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

अत: उक्त वर्णित स्थिति में हिलसा नूरसराय पथ के डोर नदी में चौड़ी करण कर नवीन पूल निर्माण कार्य कराने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./- हीरा प्रसाद विंद
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-219/2018 – 1578 (1) वि.प.। पटना, दिनांक- 19.07.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ पथ निर्माण विभाग / प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-24.07.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह
(नवल किशोर सिंह) 20.07.2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

माननीय सभापति महोदय,

गयाजी की मोक्षदायिनी अंत:सलिला फल्गु की वर्तमान तस्वीर पीड़ादायक है। देश दुनिया के सनातन धर्मावलम्बियों के आस्था का केन्द्र, इस पवित्र फल्गु नदी में स्नान और तर्पण के लिए पानी नहीं है। बावजूद नदी के प्रति आस्था ऐसी है कि मोक्षधाम आने वाले तीर्थयात्री, लगभग 150 नालें के गंदे पानी, जो फल्गु जी में बहती है, उसमें भी लोटा और मग से स्नान कर रहे हैं और तर्पण भी। पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए इस नदी में स्नान और तर्पण का धार्मिक महत्व है। पितृपक्ष में लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय मेले में यहाँ लगभग सात से दस लाख तीर्थयात्री पहुँचते हैं। साल भर यहाँ कर्मकांड होता है। विष्णुपद प्रबंधकारिणी समिति के अनुसार प्रतिवर्ष करीब 25 से 30 लाख तीर्थयात्री गयाधाम में पितरों को मोक्ष दिलाने के उद्देश्य से कर्मकांड के लिए आते हैं।

अत: मैं सरकार से गयाजी की मोक्षदायिनी अंत:सलिला फल्गु नदी में स्नान और तर्पण के लिए स्वच्छ पानी मुहैया कराने और दोनों तरफ से आने वाले नालों का प्रदूषित पानी S.T.P से शुद्ध कर उसे कंडी नवादा के पास फल्गुजी में छोड़े जाने के संबंध में सदन में सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह0/- कृष्ण कुमार सिंह
स.वि.प.

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-214/2018 – 1569 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 18.07.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ पर्यटन विभाग, बिहार/ कला संस्कृति एवं युवा विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 24.07.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 18.07.2018

(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

माननीय सभापति महोदय,

पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नेफ्रोलॉजी विभाग की स्थिति अत्यंत दयनीय है। यहां पर एक प्रोफेसर, एक सहायक प्राध्यापक एवं एक सीनियर रेजिडेंट कार्यरत है। एम.डी.की डिग्री लेने के बाद दो वर्षों का विशेष प्रशिक्षण लिए हुए चिकित्सक को प्रोफेसर बनाने के बाद ही यहां डी.एम.डिग्री की पढ़ाई शुरू हो सकती है। इस विभाग में मरीजों की भारी भीड़ है। एम.सी.आई.के मानक के अनुसार गुर्दा प्रत्यारोपण कार्यक्रम शुरू करने हेतु विभाग में आधारभूत संरचना बढ़ाना आवश्यक है। यहाँ 20 डायलिसिस मशीन खराब हैं, सिर्फ 5 कार्यरत हैं। आर.ओ. प्लांट जर्जर हो चुका है। 2014-15 में डायलिसिस टेक्निशियन के लिए साक्षात्कार लिया गया था, आज तक बहाली नहीं हो पाई। कार्यरत प्रोफेसर को न वांछित डिग्री है और न उन्हें कार्य में कोई अभिरूचि है। इस विभाग में डी.एम.कोर्स की पढ़ाई शुरू करने के लिए एम.सी.आई. के मानक के अनुसार आधारभूत संरचना में विकास सहित नॉन डीएम. सीनियर रेजीडेन्ट के 6 पद, नॉन एमडी जुनियर रेजीडेंट के 6 पद, डायलिसिस टेक्निशियन के 6 पद, डायलिसिस मशीन पर प्रशिक्षित बायोमेडिकल इंजीनियर के 1 पद एवं क्लर्क का एक पद सृजित करते हुए योग्य एवं उचित व्यक्ति का पदस्थापन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उचित व्यवस्था के अभाव में मरीजों को बहुत परेशानी हो रही है।

अत: नेफ्रोलॉजी विभाग में प्रोफेसर के पद पर वांछित योग्यताधारी चिकित्सक को पदस्थापित करने, आधारभूत संरचना को चुस्त-दुरूस्त बनाने, सभी डायलिसिस मशीन को कार्यरत बनाने, तथा वांछित संख्या में चिकित्सकों को पदस्थापित करने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह0/- सुमन कुमार
स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-198/2018 – 1536 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 13.07.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ स्वास्थ्य विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 24.07.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

13.07.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

माननीय सभापति महोदय,

सीतामढ़ी जिला के डुमरा प्रखंड अन्तर्गत ग्राम-रमना भासर पंचायत-भासर मच्छाहा, वार्ड नं.-8 में एक एकड़ जमीन के छोटे से भूभाग पर प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्र बना हुआ है। जिसका भवन अत्यंत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इस उप स्वास्थ्य केन्द्र पर आऊट डोर डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। भवन की जर्जर स्थिति के कारण उप स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थापित ए.एन.एम.अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पा रही है। प्राथमिक उपचार हेतु दी गई दवाईयों का रख-रखाव भवन के अभाव में ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है। इस उप-स्वास्थ्य केन्द्र के आस पास लगभग 30000 (तीस हजार) की घनी आबादी है। आऊट डोर डॉक्टर का अभाव दवाई एवं भवन की स्थिति के कारण स्थानीय लोगों को इस उप स्वास्थ्य केन्द्र पर समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है।

अत: जनहित में "ध्यानाकर्षण" के माध्यम से सीतामढ़ी जिला के डुमरा प्रखंड अन्तर्गत ग्राम-रमना भासर पंचायत भासर मच्छाहा वार्ड-08 में अवस्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र, जिसके पास भवन बनाने हेतु पर्याप्त जमीन है, को अपग्रेड कर भवन निर्माण के साथ-साथ समुचित इलाज हेतु डॉक्टर के पदस्थापन एवं दवाईयों उपलब्ध कराने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह0/- रामईशवर महतो
स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-200/2018 /वि.प.। पटना, दिनांक- 13.07.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ स्वास्थ्य विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 24.07.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 13.07.2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य में डेंगु और चिकनगुनिया जैसा संक्रामक रोग लगातार फैल रहा है। सरकारी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों पर डेंगु एवं चिकनगुनिया के इलाज एवं दवाओं की समुचित व्यवस्था नहीं है। आम गरीब जनता यथोचित ईलाज के अभाव में मर रही है। जल जमाव के कारण मच्छरों का प्रकोप काफी बढ़ा है। कोई दवा छिड़काव नहीं हो रहा है। इलाज एवं दवा में काफी शिथिलता बरती जा रही है। जनता में आक्रोश व्याप्त है।

अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में डेंगु एवं चिकनगुनिया जैसी संक्रामक रोग के नियंत्रण करने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह0/- आदित्य नारायण पाण्डेय
स.वि.प.

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-215/2018 – 1568 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 18.07.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ स्वास्थ्य विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 24.07.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

18.07.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्